न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भीलवाड़ा

पीठासीन अधिकारी–आव्हाद निवृत्ति सोमनाथ (आई.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 128/2020

दायर दिनांक 23.06.2020

निर्णय दिनांक 13.05.2024

उनवान

रामु पत्नी श्री रतन लाल माली उम्र वयस्क निवासी धूलखेड़ा तह0 एवं जिला भीलवाड़ा — प्रार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाड़ा — विपक्षी

उपस्थितः–अधिवक्ता प्रार्थी अमित कोठारी

–: प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लेण्ड रेवेन्यु एक्ट बाबत् रेकार्ड में हुई त्रुटि को दुरस्थ कराये जाने :–

–: निर्णय :–

दिनांक 13/05/2024

संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि ग्राम मालोला पटवार हल्का मालोला भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र सांगानेर तहसील व जिला भीलवाडा मे प्रार्थी के खातेदारी आराजी संख्या 772/1, 772/2, 774/1, 775/1 कुल किता 04 रकबा 5.3 बीघा भूमिं स्थित है। जिसमें से आराजी नम्बर 775/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा का वर्तमान राजस्व नक्शे में रकबा कम तरमीम कर दिया गया है। जिसे राजस्व जमाबन्दी में अंकित रकबे अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कराए जाने हेतु प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र के समर्थन में ग्राम मालोला की जमाबन्दी सम्वत् 2071–2074 में अंकित आराजी नम्बर 775/1 क्षेत्रफल 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि ओमप्रकाश, मुरलीधर पिता भोली राम ब्राहम्ण, रामू पत्नी रतनलाल माली, धन्नी पत्नी सूरजमल गुर्जर सा0 देह खातेदार की जमाबन्दी प्रति एवं नक्शा ट्रेस प्रस्तुत किया।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर विपक्षी को सम्मन जारी किए गए। विपक्षी की ओर से रिपोर्ट पटवारी हल्का मालोला प्राप्त हुई जिसमे अंकित किया है कि ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 775/1, क्षेत्रफल 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि ओमप्रकाश , मुरलीधर पिता भोलीराम ब्राहम्ण, रामु पत्नी रतन लाल माली, धन्नी पत्नी सूरजमल गुर्जर सा0 देह के नाम दर्ज रेकार्ड है। आराजी नम्बर 775/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा के मुकाबले नक्शा लट्ठा में 1.03 बीघा ही है। रकबा 0.02 बिस्वा कम पड़ता है। आराजी संख्या 775/1 रकबा 1 बीघा 05 बिस्वा एवं 775/2 रकबा 03 बिस्वा एवं 775/3 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल किता 03 रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा दर्ज है। नक्शा लट्ठा में रकबा बरारी करने पर कुल रकबा 03 बीघा 07 बिस्वा के मुकाबले रकबा 03 बीघा ही बनता है। जो सेटेलमेंट सीट की तरमीम नक्शा लटठा अनुसार इस प्रकार मूल आराजी नम्बर 775 का रकबा ही कम है। तरमीम बंटवारे में अनुपातिक रूप से कम है।

[signature]

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र एवं सलग्न दस्तावेजात के परीक्षण अनुसार ग्राम मालोला के आराजी नम्बर 775/1 क्षेत्रफल 1.बीघा 05 बिस्वा की जमाबन्दी की नकल एवं नक्शा ट्रेस की प्रति प्रस्तुत की है। प्रार्थी ने आराजी नम्बर 775/2, 775/3 की जमाबन्दी की नकल संलग्न नहीं की है, न ही नक्शा ट्रेस की प्रति संलग्न की है। आराजी नम्बर 775/2, 775/3 के खातेदार को पक्षकार भी नहीं बनाया। प्रार्थी की आराजी नम्बर 775/1 क्षेत्रफल 1 बीघा 05 बिस्वा भूमि की नक्शे में तरमीम विभाजन से हुई है। प्रार्थी को विभाजन आदेश की अपील की जानी चाहिए। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नहीं ठहरता है। अतएवं

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 लैण्ड रेवेन्यू एक्ट का सिद्ध नहीं होने से खारिज किया जाता है।

(आह्लाद निवृत्ति सोमनाथ)
उपखण्ड अधिकारी
भीलवाडा

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा